# छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय हेतु मानव संसाधन की सेवाएं उपलब्ध कराने बाबत्
# ऑनलाईन द्वितीय ई–निविदा–प्रपत्र

निविदा सूचना क्रमांक – 1934 नवा रायपुर दिनांक 10/10/2024

## //द्वितीय निविदा प्रपत्र//

| | |
|---|---|
| निविदा प्रपत्र शुल्क | रूपये 1180/– जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) |
| अमानत राशि | रूपये 2,00,000/– (बिना ब्याज के वापसी योग्य) |
| निविदा जमा करने की अंतिम तिथि | दिनांक 05/11/2024 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक |
| निविदा टेक्निकल बिड खोलने की तिथि | दिनांक 05/11/2024 समय 4:00 बजे सायं तक |
| फाईनेंशियल बिड खोलने की तिथि | टेक्निकल बिड में योग्य पाये गये निविदाकार फर्मो को पृथक से सूचित किया जायेगा। |


**छत्तीसगढ़ संवाद**

**(छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)**

**नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर**

**जिला–रायपुर, (छ.ग.) फोन नं. 0771–2512536**

**Web :-http://samvad.cg.nic.in/, Email :- cgsamvadadvt@gmail.com**

# छत्तीसगढ़ संवाद

**(छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था)**
**नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)**
**फोन– 0771–2512536**


निविदा क्रमांक / 1934 / छ.ग.सं. / स्था. / 2024 नवा रायपुर दिनांक 10 / 10 / 2024

## मानव संसाधन की सेवा हेतु द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय नवा रायपुर के कार्यालयीन कार्य संपादन हेतु विभिन्न पदो पर मानव संसाधन की सेवा उपलब्ध कराने हेतु योग्य एवं अनुभवी प्लेसमेंट एजेंसी की सेवा लेने **छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाईट http://samvad.cg.nic.in/ के माध्यम से ऑनलाईन द्वितीय ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।** निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा प्रपत्र जमा करने एवं खोलने की तिथि निम्नानुसार है :–

| | |
|---|---|
| निविदा प्रपत्र शुल्क | रूपये 1180 / –जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) |
| अमानत राशि | रूपये 2,00,000 / – (बिना ब्याज के वापसी योग्य) |
| निविदा जमा करने की अंतिम तिथि | दिनांक 05 / 11 / 2024 समय 3:00 बजे अपरान्ह तक |
| निविदा टेक्निकल बिड खोलने की तिथि | दिनांक 05 / 11 / 2024 समय 4:00 बजे सायं तक |
| फाईनेंशियल बिड खोलने की तिथि | टेक्निकल बिड में योग्य पाये गये निविदाकार फर्मो को पृथक से सूचित किया जायेगा। |

उपरोक्त निर्धारित तिथि को अपरान्ह् 3:00 बजे तक मात्र उक्त वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन निविदा प्रस्ताव जमा किया जा सकता है। अपरान्ह् 3:00 बजे के बाद प्राप्त निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा के नियम शर्तों या अन्य किसी प्रकार संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र उक्त वेबसाइट http://samvad.cg.nic.in/ में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
**छत्तीसगढ़ संवाद**
**नवा रायपुर अटल नगर**

# छत्तीसगढ़ संवाद

**(छत्तीसगढ़ शासन, जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)**
**नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर**
**जिला–रायपुर फोन नं. 0771–2512536**


## मानव संसाधन की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु आमंत्रित ऑनलाईन द्वितीय ई–निविदा की नियम एवं शर्तें

**1.** छत्तीसगढ़ संवाद का गठन फर्म्स एवं सोसायटी एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा राज्य शासन के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का जनहित में प्रचार–प्रसार संबंधी कार्य किया जाता है। छत्तीसगढ़ संवाद के दैनिक कार्यों के संपादन हेतु मानव संसाधन की आवश्यकता है। मानव संसाधन की सेवाएं हेतु पंजीकृत एवं अनुभवी प्लेसमेन्ट एजेंसी समस्त वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन ई–निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है। मानव संसाधनों की सेवा लेने एवं संख्या कम/ज्यादा करने का पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ संवाद का रहेगा।

**2.** निविदाकार को ई–निविदा आवेदन के साथ निविदा शुल्क रू. 1180/– एवं राशि रू. 2,00,000/– (रूपये दो लाख मात्र) अमानत राशि (Earnest Money), छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में ऑनलाईन/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति ऑनलाईन टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।

**छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :–**

| | | |
|---|---|---|
| **Account Name** | : | **Chhattisgarh Samvad** |
| **Bank Name** | : | **Central Bank of India** |
| **Branch Name** | : | **Civil Line, Raipur (C.G.)** |
| **Saving Account No.** | : | **1279040867** |
| **IFSC Code No.** | : | **CBIN0282321** |

बिना अमानत राशि (Earnest Money) के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा अनुबंध समाप्ति पश्चात किसी प्रकार की कटौती अथवा पेनाल्टी की राशि लंबित होने की स्थिति में जमा अमानत राशि में समायोजन कर शेष राशि वापसी की जाएगी।

**3.** ऑनलाइन निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट **http://samvad.cg.nic.in/** के माध्यम से जमा किया जा सकता है। निविदा में वांछित समस्त दस्तावेज की सॉफ्टकॉपी ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है। निर्धारित प्रारूप में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र की मूल प्रति निविदा जमा करने के नियत तिथि एवं समय के पूर्व अपरान्ह 3:00 बजे तक छत्तीसगढ़ संवाद, सेक्टर 19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर नवा रायपुर भवन के द्वितीय तल, स्थापना शाखा SF – 11 में जमा किया जाना है। शपथ पत्र के अतिरिक्त किसी भी दस्तावेज की हार्डकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। निविदा के नियम–शर्तों या अन्य किसी प्रकार का संशोधन होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी नहीं की जाएगी। मात्र उक्त वेबसाइट में संशोधन की जानकारी दी जाएगी।

**4.** सफल निविदाकार की अमानत राशि धरोहर राशि के रूप में रखी जावेगी और सेवा अवधि संतोषप्रद ढंग से समाप्ति के बाद वापस की जाएगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अन्य निविदाकारों की अमानत राशि, सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरान्त बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। सफल निविदाकार द्वारा निविदा अवार्ड होने के 15 दिवस के भीतर छ.ग.

संवाद से सेवा अनुबंध नहीं करने अथवा भविष्य में संतोषप्रद कार्य संपादित नहीं करने पर जमा अमानत राशि जप्त की जायेगी।

**5. प्लेसमेंट एजेंसी की पात्रता हेतु न्यूनतम मापदण्ड :–**

1. संस्था/फर्म द्वारा राज्य के शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम–मंडल कार्यालयों में विभिन्न कार्यों हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। साक्ष्य हेतु नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र/कार्यादेश की प्रति ऑनलाईन जमा करना होगा।
2. वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में औसतन वार्षिक टर्नओव्हर कम से कम रू. 2 करोड़ होना चाहिए। टर्नओव्हर प्रमाण–पत्र चार्टेड् एकाउन्टेंट से सत्यापित एवं UDIN अंकित होना अनिवार्य है।
3. वैधानिक पंजीयन जैसे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC), लेबर एक्ट, जीएसटी आदि के अन्तर्गत वैध पंजीयन एवं जीवित लेबर लाईसेंस होना अनिवार्य है। पंजीयन प्रमाण–पत्रों, पेन कार्ड की प्रतियां ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है। निविदा में भाग लेने वाले एजेंसी का छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यालय/शाखा होना अनिवार्य है।
4. कर निर्धारण वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का आयकर रिटर्न के Acknowledgement की प्रतियां ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है।
5. मार्च 2024 की EPF एवं ESIC भुगतान की ECR चालान की प्रति Online जमा करना होगा।
6. माह मार्च 2024 की GST R-1 एवं GST R-3B रिटर्न की प्रति ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है।

**6.** निविदा के अंतर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले मानव संसाधन के विभिन्न कार्य के अनुसार कर्मियों के वर्ग के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव का विवरण, **अनुसूची–1** में दिया गया है। प्लेसमेंट एजेन्सी को छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा सूचना दिए जाने पर उक्त अनुसूची में वर्णित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव रखने वाले कुशल मानव संसाधन की सेवा सूचना प्राप्ति के 48 घण्टे के भीतर उपलब्ध कराना होगा। उक्त निविदा मात्र एजेंसी चयन हेतु आमंत्रित की जा रही है कर्मचारियों की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा समय–समय पर की जा सकेगी। प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी कर्मी प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा नियोजित होंगे तथा कर्मियों एवं छत्तीसगढ़ संवाद के मध्य सेवक–नियोजक का संबंध नहीं रहेगा। यदि कोई कर्मी कार्य के लिये उपयुक्त नहीं पाया जाता या अनुशासनहीन होना पाया जाता है तो सूचना प्राप्त होने पर प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा उसे तत्काल वापस लेना होगा तथा यदि आवश्यक हो तो उसके बदले अन्य कुशल कर्मी भेजना होगा। कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा मेडिकल फिटनेस, पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र सत्यापन आदि के उत्तरदायित्व प्लेसमेंट एजेन्सी की होगी। कर्मचारियों की सेवा लेने या सेवा से पृथक करने का पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा। छत्तीसगढ़ संवाद के बगैर लिखित अनुमति के किसी भी कर्मचारी को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा और न ही लिखित अनुमति के बिना मानव संसाधन उपलब्ध कराया जायेगा।

**7.** निविदा की स्वीकृति का पत्र जारी होने के सात दिनों के भीतर सफल निविदाकार को रूपये 100/– मात्र के नॉन–ज्यूडिसियल स्टॉम्प में **अनुसूची–3** के प्रारूप में अनुबंध करना होगा। निविदा के अंतर्गत अनुबंध की अवधि कार्यादेश से **एक वर्ष** की होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर सेवा में वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। प्लेसमेंट एजेन्सी का कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर 7 दिनों की सूचना देकर समाधान कारक उत्तर नहीं मिलने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा एवं जमा अमानत राशि जप्त की जाएगी तथा प्लेसमेंट एजेंसी को एक वर्ष के लिए ब्लैकलिस्टेड किया जा सकता है।

**8.** प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव संसाधनों को प्रतिमाह वेतन पर्ची (Salary Slip) उपलब्ध कराना होगा।

**9. प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा मानव संसाधन कर्मियों को भुगतान :–** विभिन्न श्रेणी के मानव संसाधन को अनुसूची–1 अनुसार एकमुश्त शुद्ध देय राशि का भुगतान प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा प्रतिमाह किया जावेगा –

(1) निर्धारित एकमुश्त राशि में से प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा कार्यरत मानव संसाधनों से किसी प्रकार सेवा शुल्क या अन्य मद में न ही कटौती की जा सकेगी और न ही वसूल की जा सकेगी अन्यथा प्लेसमेंट एजेंसी को आगामी 2 वर्ष के लिए कालीसूची में डालकर अमानत राशि जप्त की जाएगी। परन्तु नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) व कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) की कटौती एवं अन्य संवैधानिक कटौती ही की जाएगी तथा शेष राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारी के बैंक खाते में प्रतिमाह नियमित रूप से जमा करना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) व कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) की कटौती राशि को संबंधित कर्मचारी के EPF एवं ESIC खाते में निर्धारित समय के भीतर जमा करना अनिवार्य है। चयनित प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा देय वैधानिक कटौती राशि छ.ग. संवाद से एजेंसी को प्राप्त होने के पश्चात तत्काल जमा करना सुनिश्चत करना होगा अन्यथा संबंधित माह के कुल देयक मे 2 प्रतिशत पेनाल्टी कटौती करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। कटौती राशि आगामी माह के देयक/अमानत राशि में समायोजन किया जायेगा। पुनः इसकी पुनरावृत्ति होने पर प्लेसमेंट एजेंसी को 02 वर्ष के लिए काली सूची में डाली जायेगी एवं जमा अमानत राशि जप्त किया जायेगा।

(2) प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा छत्तीसगढ़ संवाद में उपलब्ध कराये गये मानव संसाधनों की वेतन प्रतिमाह 3 तारीख तक नियमित रूप से भुगतान करना होगा। किसी भी प्रकार के विलंब होने पर छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ संवाद में विभिन्न पदों पर लगभग 130 मानव संसाधनों की आवश्यकता है, आवश्यकतानुसार पद संख्या परिवर्तनीय होगा, संख्या कम या ज्यादा हो सकता है एवं मानदेय शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम नहीं होगा।

(3) प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा छत्तीसगढ़ संवाद में उपलब्ध कराये गये मानव संसाधनों की वेतन का निर्धारण छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा किया जायेगा। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा प्रेषित उपस्थिति पत्रक एवं अनुमोदित मानदेय के आधार पर एजेंसी द्वारा देयक प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन चालक एवं भृत्यों को वर्दी प्रदान करना होगा, जिसका छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

**10. तकनीकी मापदंड :–**

नीचे दर्शित सारणी अनुसार निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मुल्यांकन किया जावेगा :–

| क्र | विवरण | अंक | आनलाईन अपलोड की जाने वाली दस्तावेज | अधिकतम अंक |
|---|---|---|---|---|
| 01 | **फर्म संस्था का वित्तीय वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 का औसत वार्षिक टर्नओवर** | | | |
| | रू. 2 करोड़ से अधिक – रू. 4 करोड़ तक | 05 अंक | सी.ए. द्वारा सत्यापित एवं UDIN अंकित टर्नओवर प्रमाण पत्र | 10 अंक |
| | रू. 4 करोड़ से अधिक – रू. 6 करोड़ तक | 07 अंक | | |
| | रू. 6 करोड़ से अधिक – रू. 8 करोड़ तक | 09 अंक | | |
| | रू. 8 करोड़ से अधिक | 10 अंक | | |

| 02 | फर्म संस्था का छ.ग. राज्य में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या | अंक | आनलाईन अपलोड की जाने वाली दस्तावेज | अधिकतम अंक |
|---|---|---|---|---|
| | 100 से 150 कर्मचारी तक | 03 अंक | कार्यरत कर्मचारियों का विभाग द्वारा सत्यापित सूची | 10 अंक |
| | 151 से 200 कर्मचारी तक | 05 अंक | | |
| | 200 से ज्यादा कर्मचारी | 10 अंक | | |

| 03 | छ.ग. प्रदेश में शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम–मंडल में कार्यअनुभव | अंक | आनलाईन अपलोड की जाने वाली दस्तावेज | अधिकतम अंक |
|---|---|---|---|---|
| | 03 वर्ष से अधिक एवं 05 वर्ष तक | 10 अंक | कार्यादेश/अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति | 30 अंक |
| | 05 वर्ष से अधिक एवं 10 वर्ष तक | 20 अंक | | |
| | 10 वर्ष से अधिक | 30 अंक | | |

10.1 तकनीकी निविदा में योग्य पाये गये निविदाकार संस्था/फर्मो के वित्तीय निविदा खोले जायेंगे।

10.2 तकनीकी निविदा में सफल निविदाकार संस्था/फर्मो हेतु तकनीकी निविदा में कुल प्राप्तांक का 60 प्रतिशत तथा वित्तीय निविदा में प्राप्तांक का 40 प्रतिशत weightage के आधार पर गणना की जावेगी।

10.3 वित्तीय निविदा :– वित्तीय निविदा में निविदाकारों को 40 प्रतिशत का weightage के आधार पर गणना की जावेगी जिसमें वित्तीय निविदा दर को प्राप्तांक में परिवर्तित कर गणना की जावेगी।

**इस तरह तकनीकी मुल्यांकन से 60 प्रतिशत weightage एवं वित्तीय मुल्यांकन से प्राप्त अंक का 40 प्रतिशत (weightage) दिया जायेगा। दोनों का योग 100 प्रतिशत अंतिम (weightage) होगा ।**

निविदाकार जो वित्तीय निविदा में न्यूनतम दर (L1) प्रस्तुत करेगा उसको वित्तीय मुल्यांकन में पूरे 40 अंक प्राप्त होंगे। (निम्नांकित उदाहरण से गणना की पद्धति को समझा जा सकता हैं।)

उदाहरण (a) 50 अंक के तकनीकी निविदा पर कोई निविदाकार को 40 अंक प्राप्त होता है तो उसका तकनीकी मुल्यांकन होगा = 24 (40 × 60%)

10.10.1 यदि (a) में दर्शित निविदाकार L1 निविदाकार है और यदि वह वित्तीय निविदा में 3 प्रतिशत दर प्रस्तुत करता है तो उसको प्राप्त कुल अंक = 64 होगा (24 तकनीकी मुल्यांकन + 40 वित्तीय मुल्यांकन = 64)

10.10.2 L1 के अलावा अन्य निविदाकार L2, L3, L4 ...... के वित्तीय मुल्यांकन की गणना को इस प्रकार समझा जा सकता है :–

$$\frac{\text{lowest Value (L1) quoted in percentage}}{\text{Quoted Value in percentage (L2 or L3 or L4 -----)}} \quad x\ 40$$

10.10.3 यदि (a) दर्शित निविदाकार L2 है और 4 प्रतिशत वित्तीय दर प्रस्तुत करता है तो निम्नानुसार गणना की जावेगी । वित्तीय निविदा में प्राप्त अंक 24 जो इस प्रकार है।

$$\frac{3 \text{ (L1 - Quoted in percentage)}}{4 \text{ (L2 Quoted Value in percentage)}} \times 40 = 30$$

इस प्रकार L2 निविदाकार द्वारा कुल प्राप्त अंक 54 होगा (तकनीकी मुल्यांकन 24 + वित्तीय मुल्यांकन 30 )

10.10.4 वित्तीय और तकनीकी निविदा मुल्यांकन में अंकों की गणना दशमलव के 2 स्थान तक की जावेगी। वित्तीय निविदा में सुपरविजन एवं मैनेजमेंट चार्जेस 0% (शून्य प्रतिशत) मान्य नहीं होगा एवं दशमलव के बाद 02 अंक तक मान्य किया जायेगा।

10.10.5 तकनीकी एवं वित्तीय मुल्यांकन को जोड़कर तालिका तैयार की जावेगी जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले निविदाकार को सफल निविदाकार घोषित किया जावेगा ।

10.10.6 यदि उपरोक्त गणना अनुसार अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले एक से अधिक निविदाकार को समान अंक प्राप्त होता है तो तकनीकी मुल्यांकन में प्रस्तुत कार्य अनुभव में अधिक प्राप्त अंक वाले निविदाकार को सफल निविदाकार घोषित की जावेगी। (यदि प्राप्त अनुभव का अंक भी समान है तो लाटरी के माध्यम से सफल निविदाकार घोषित किया जायेगा।)

**11. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा प्लेसमेंट एजेन्सी को मान्य भुगतान :–**

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा प्लेसमेंट एजेन्सी को निम्नांकित राशि का भुगतान किया जावेगा–

1) नियमानुसार टीडीएस एवं जीएसटी टीडीएस की कटौती की जावेगी।
2) प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा EPF, ESIC, GST एवं अन्य वभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत जमा की गई राशि का प्रत्येक माह छत्तीसगढ़ संवाद में उपलब्ध कराये गये मानव संसाधनों के नाम विवरण सहित पावती/चालान उपलब्ध कराना आवश्यक होगा अन्यथा अगला भुगतान रोका जा सकेगा।
3) मानव संसाधन हेतु चयनित फर्म को छत्तीसगढ़ संवाद में उपलब्ध कराए गए मानव संसाधनों के वेतन भुगतान की सुरक्षा के रूप में अनुबंध निष्पादन के पूर्व राशि रू. 05 लाख का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ संवाद में जमा करना होगा।

**12. ऑनलाईन ई–निविदा प्रस्ताव जमा करने की विधि** – ऑनलाइन निविदा प्रपत्र छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट **http://samvad.cg.nic.in/** के माध्यम से जमा किया जाना है। निविदा में वांछित समस्त दस्तावेजों की सॉफ्टकॉपी निर्धारित प्रारूप में क्रमानुसार व्यवस्थित एवं स्पष्ट प्रति अपलोड करना अनिवार्य है। ऑनलाइन निविदा में क्र. 3 में उल्लेखित नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र के अतिरिक्त किसी भी दस्तावेज की हार्डकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं टेक्निकल बिड में वांछित दस्तावेज के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज स्वीकार योग्य नहीं है।

**13. कार्य का प्रकार एवं विवरण –**

**(A) कार्यालयीन कार्य–**किसी भी कर्मचारी की छुट्टी एवं बीमारी की स्थिति में एजेन्सी को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, उपलब्ध मानव संसाधनों को प्रतिवर्ष 18 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी। अवकाश प्रति माह अनुपातिक रूप में स्वीकृत की जाएगी। महिला कर्मी को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित संवैधानिक दायित्वों का पालन करना होगा।

**(B) अन्य शर्तें –**

1) प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) व कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) तथा अन्य सभी प्रचलित संबंधित शासकीय नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। विभिन्न नियमों का पालन करने तथा निर्धारित राशि नियत समय में जमा करने का उत्तरदायित्व प्लेसमेंट एजेंसी की होगी। कर्मचारियों के EPF व ESIC की राशि निर्धारित समय में जमा नहीं करने पर प्लेसमेंट एजेंसी के विरूद्ध उपरोक्तानुसार कटौती एवं कार्यवाही की जा सकेगी।
2) प्लेसमेंट एजेन्सी श्रम कानूनों का पालन करने के लिये एवं मानव संसाधनों के पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए स्वयं जवाबदार रहेगी एवं आवश्यक पंजीयन संबंधित विभाग से प्राप्त करेगी एवं प्रमाण–पत्र छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
3) प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा मानव संसाधन उपलब्ध कराते समय सभी संबंधित कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश मय परिचय पत्र छत्तीसगढ़ संवाद को उपलब्ध कराया जाना होगा। कर्मचारी की न्यूनतम योग्यता पूर्ति करने की संपूर्ण जिम्मेदारी प्लेसमेंट एजेंसी की होगी।
4) संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में दर्शित अर्हता के अनुरूप मानव संसाधन, छत्तीसगढ़ संवाद की सहमति के उपरांत ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।
5) कार्यालयीन समय में कोई भी कर्मचारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारी की अनुमति के बिना कार्य में अनुपस्थित नहीं रहेगा।
6) कार्य के दौरान प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा संतोषप्रद सेवायें प्रदान न करने की स्थिति में छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा सप्ताह के लिखित नोटिस के उपरांत उत्तर संतोषपद्र न पाये जाने पर अनुबंध निरस्त किया जायेगा।
7) कर्मचारी कार्यालय में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसमें कार्यालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपत्ति हो। यदि आवश्यक हुआ तो या छत्तीसगढ़ संवाद के अधिकारी के कहने पर प्लेसमेंट एजेन्सी को खराब आचरण करने वाले कर्मी को तत्काल बदलना होगा।
8) किसी भी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों की संख्या में परिवर्तन मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के आदेश से किया जा सकेगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद, के पास सुरक्षित रहेगा।
9) कर्मचारियों की सेवा लेने अथवा सेवा से पृथक करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद, के पास सुरक्षित रहेगा।
10) उक्त निविदा मात्र एजेंसी चयन हेतु आमंत्रित की जा रही है मानव संसाधन की सेवाएं के संबंध में पूर्व में कार्यरत कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ संवाद में पूर्व से कार्यरत अनुभवी कर्मियों का पद एवं छत्तीसगढ़ संवाद के कार्यानुभव के आधार पर मासिक मानदेय राशि छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित किया जायेगा तथा कर्मियों की चयन एवं सेवा के संबंध में निर्णय का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा।
11) शासन द्वारा निर्धारित जी.एस.टी. का भुगतान पृथक से किया जायेगा।
12) फर्म अपनी दरें संलग्न निर्धारित प्रपत्र अनुसूची–2 में ही ऑनलाईन प्रस्तुत करें।
13) निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने, नियम शर्तों को शिथिल करने तथा बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।

14) फर्मों को अब तक उनके द्वारा देय जीएसटी, ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी. अन्य वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा करने, कोई देय राशि बकाया न होने एवं किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेड न होने के संबंध में निर्धारित प्रारूप में रू. 50/– मात्र के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

15) व्यवहार में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर, छत्तीसगढ़ ही होगा।

16) किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर – प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जाएगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।

17) निविदा जमा करने का आशय यह होगा कि उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हैं।

**14. अनुसूची–2 के नियम शर्ते –** (1) उपरोक्त कण्डिका 1 एवं 2 के अतिरिक्त EPF, ESIC, GST का भुगतान विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत हमारे द्वारा किया जावेगा। जिसकी प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा मासिक आधार पर देयक के साथ हमें की जावेगी।

(2) निर्धारित एकमुश्त राशि में से प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा किसी प्रकार सेवा शुल्क या अन्य मद में न ही कटौती की जा सकेगी या न ही वसूल की जा सकेगी। परन्तु नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा की कटौती एवं अन्य संवैधानिक कटौती ही की जाएगी तथा शेष राशि का भुगतान सम्बन्धित कर्मी के बैंक खातों में करना होगा।

(3) हमारे द्वारा वैधानिक देय राशियों का भुगतान नियत समय के भीतर की जाएगी एवं प्रत्येक माह देय जमा राशि का विवरण, चालान/पावती छत्तीसगढ़ संवाद में जमा किया जावेगा। इसके अतिरिक्त संदाय संबंधी जो भी जानकारी व दस्तावेज आपके द्वारा मांगे जायेंगे, तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) शासन द्वारा निर्धारित देय जीएसटी एवं ईपीएफ, ईएसआईसी की नियोक्ता के अंशदान राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा की जाएगी।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

(रू. 50/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

# शपथ–पत्र

मैं——————————संस्था प्रमुख निवासी ————————————छग संवाद द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। हमारे फर्म द्वारा देय जीएसटी, अन्य वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी. एवं अन्य देय शुल्को का भुगतान किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छग संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छ.ग. संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्ते स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था ———————————— किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेट (काली सूची) नहीं है।

स्थान ——————

दिनांक——————

फर्म के मालिक/अधिकृत हस्ताक्षकर्ता
का हस्ताक्षर

पूरा नाम ..........................................................
संस्था का नाम ...............................................
संस्था का सील–मोहर

## मानव संसाधन कर्मियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनुभव

1. प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा छत्तीसगढ़ संवाद में नियोजित किये गये कर्मी को छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित मासिक राशि प्रतिमाह **EPF**, **ESIC** एवं अन्य वैधानिक कटौती कर भुगतान करना होगा –

| **क्र.** | **मानव संसाधन पदनाम** |
|---|---|
| 01 | पीआर कन्सल्टेंट |
| 02 | वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार |
| 03 | संपादकीय सलाहकार |
| 04 | उप संपादक |
| 05 | ग्राफिक्स डिजाईनर |
| 06 | कॉपीराइटर / कन्टेंट राइटर |
| 07 | तकनीकी सहायक |
| 08 | मीडिया एक्ज्युकेटिव |
| 09 | मैनेजर (ऑडिटोरियम) |
| 10 | अनुवादक |
| 11 | रीडर सह जनसूचना सहायक |
| 12 | निज सहायक / स्टेनोग्राफर (हिन्दी / अंग्रेजी) |
| 13 | मार्केटिंग एक्जीक्युटिव |
| 14 | डीटीपी ऑपरेटर / सहायक ग्राफिक डिजाईनर |
| 15 | लेखा सहायक |
| 16 | फोटोग्राफर |
| 17 | वीडियो एडिटर |
| 18 | डाटा एन्ट्री आपरेटर |
| 19 | एच.आर. मैनेजर |
| 20 | इस्टेट मैनेजर |
| 21 | इस्टेट सुपरवाईजर |
| 22 | वीडियो / डिजिटल लाइब्रेरियन |
| 23 | टेक्निशियन (नेटवर्किंग) |
| 24 | वाहन चालक |
| 25 | डाक रनर |
| 26 | भृत्य |

छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा कार्य आवश्यकता अनुसार उपरोक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु प्लेसमेंट एजेंसी को सूचित किया जायेगा। संख्या परिवर्तनीय होगा।

**2.** मानव संसाधन की न्यूनतम अर्हता निम्नांकित होगी :—

(1) **पी. आर. कन्सल्टेंट :—**

**योग्यता/अनुभव :—** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि एवं किसी प्रतिष्ठित संस्था में पी.आर. कन्सल्टेंट/परशेप्सन मैनेजमेंट/ब्रॉण्ड मैनजमेंट से संबंधित कार्य का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव।

(2) **वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार :—**

**योग्यता/अनुभव :—** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि एवं स्थानीय या राष्ट्रीय समाचार—पत्र/चैनलों में संपादकीय कार्य का कम से कम 20 वर्ष का अनुभव।

(3) **संपादकीय सलाहकार :—**

**योग्यता/अनुभव :—** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि एवं स्थानीय या राष्ट्रीय समाचार—पत्र/चैनलों में संपादकीय कार्य का कम से कम 15 वर्ष का अनुभव।

(4) **उप संपादक :—**

**योग्यता/अनुभव :—** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि एवं विभिन्न समाचार—पत्र, पत्रिकाओं में लेखन व संपादकीय कार्य का कम से कम 07 वर्ष का अनुभव।

(5) **ग्राफिक्स डिजाईनर :—**

**योग्यता/अनुभव :—** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से ललित कला/कम्प्यूटर पर ग्राफिक्स डिजाईनिंग में उपाधि एवं कम्प्यूटर ग्राफिक्स तथा आर्ट डजाईनिंग में किसी शासकीय/अर्ध्दशासकीय/प्रतिष्ठित संस्था में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

(6) **कॉपीराइटर/कन्टेंट राइटर :—**

**योग्यता/अनुभव :—** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उच्च श्रेणी में पत्रकारिता में स्नातक उपाधि एवं शासकीय/अर्ध्दशासकीय/प्रतिष्ठित संस्था में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

(7) **तकनीकी सहायक :—**

**योग्यता/अनुभव :—** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई./बी.टेक (कम्प्यूटर साईंस)/एम.सी.ए./एम.एस.सी. (आईटी/सी.एस.) एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्रतिष्ठित संस्था में कम्प्यूटर साफ्टवेयर मैनेजमेन्ट से संबंधित कार्य का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।

(8) **मीडिया एक्जीक्युटिव :—**

**योग्यता/अनुभव :—** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, कम्प्यूटर संचालन, डिजाइनिंग, विज्ञापन देयक तैयार करना, वसूली का अनुभव एवं मीडिया एक्जीक्युटिव के पद पर कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

(9) **मैनेजर (ऑडिटोरियम) :—**

**योग्यता/अनुभव :—** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि एवं ऑडिटोरियम (आपरेशन एवं मेंटनेंश) कार्यों का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव।

(10) **अनुवादक :—**

**योग्यता/अनुभव :—** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी/अंग्रेजी में उच्च श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री एवं अनुवाद में डिप्लोमा तथा शासकीय/अर्ध्दशासकीय/प्रतिष्ठित

संस्था में कम से कम 3 वर्ष का हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद का अनुभव। हल्बी, गोंडी, भतरी, आदिवासी एवं अन्य स्थानीय बोली के जानकार को प्राथमिकता दी जाएगी।

(11) **रीडर सह जनसूचना सहायक :–**

**योग्यता/अनुभव :–** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा तथा किसी भी शासकीय/अर्ध्दशासकीय/प्रतिष्ठित संस्था में कम से कम 5 वर्ष का लिपिकीय कार्य का अनुभव।

(12) **निज सहायक/स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी) :–**

**योग्यता/अनुभव :–** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, मान्यता प्राप्त संस्था से डी.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए. सहित हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण अथवा शासकीय, अर्ध्दशासकीय या प्रतिष्ठित संस्था में संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 वर्षो का अनुभव।

(13) **मार्केटिंग एक्जीक्युटिव :–**

**योग्यता/अनुभव :–** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBA (Marketing) एवं शासकीय/अर्ध्दशासकीय/प्रतिष्ठित संस्था में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, कम्प्यूटर कार्य का अनुभव अनिवार्य।

(14) **डीटीपी ऑपरेटर/सहायक ग्राफिक डिजाईनर :–**

**योग्यता/अनुभव :–** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीजीडीसीए/डीसीए/DTP डिप्लोमा एवं शासकीय/अर्ध्दशासकीय /प्रतिष्ठित संस्था में पेजमेकर, कोरेल ड्रॉ, फोटोशॉप, एमएस ऑफिस एवं पेज सेटिंग के कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग का ज्ञान।

(15) **लेखा सहायक :–**

**योग्यता/अनुभव :–** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य संकाय में स्नातक की उपाधि, कम्प्यूटर टेली पैकेज में लेखा कार्य की दक्षता एवं शासकीय/अर्ध्दशासकीय/प्रतिष्ठित संस्था में टेली पेकेज में लेखा संबंधित कार्य का कम से कम 3 वर्षों का अनुभव।

(16) **फोटोग्राफर :–**

**योग्यता/अनुभव :–** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की की उपाधि, फोटोग्राफी कार्य में उत्तम दक्षता एवं प्रतिष्ठित समाचार पत्र, पत्रिका एवं किसी संस्था में फोटोग्राफी से संबंधित कार्य का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव।

(17) **वीडियो एडिटर :–**

**योग्यता/अनुभव :–** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की की उपाधि, वीडियो एडिटिंग कार्य में उत्तम दक्षता एवं प्रतिष्ठित समाचार चैनल, फिल्म कंपनी या किसी संस्था में वीडियो एडिटिंग कार्य का कम से कम 05 वर्षों का अनुभव।

(18) **डाटा एन्ट्री आपरेटर :–**

**योग्यता/अनुभव :–** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, मान्यता प्राप्त संस्था से डी.सी.ए./पी.जी.डी.सी.ए. एवं शासकीय, अर्धशासकीय या प्रतिष्ठित संस्था में कम से कम 3 वर्षो का अनुभव, कम्प्यूटर टायपिंग में कम से कम पांच हजार की डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति।

19) **एच आर मैनेजर :–**

**योग्यता/अनुभव :–** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एच.आर. मैनेजमेंट में MBA की उपाधि एवं किसी प्रतिष्ठित संस्था में एच.आर. प्रबंधन कार्य का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव।

(20) **इस्टेट मैनेजर :–**

**योग्यता/अनुभव :–** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि एवं किसी शासकीय, अर्ध्दशासकीय या अन्य प्रतिष्ठित संस्था में मैनेजर कार्य का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्ष।

(21) **इस्टेट सुपरवाइजर :–**

**योग्यता/अनुभव :–** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि एवं किसी शासकीय, अर्ध्दशासकीय या अन्य प्रतिष्ठित संस्था में सुपरवाइजर कार्य का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव एवं कम्प्यूटर पर कार्य करने में दक्ष।

(22) **वीडियो/डिजिटल लाईब्रेरियन :–**

**योग्यता/अनुभव :–** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाईब्रेरी साईंस में स्नातक की उपाधि एवं किसी प्रतिष्ठित न्यूज चैनल/वीडियो न्यूज एजेंसी में वीडियो/डिजिटल लाइब्रेरियन के कार्य का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव।

(23) **टेक्निशियन :–**

**योग्यता/अनुभव :–** किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से यांत्रिकी/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक/आई.टी. में डिप्लोमा एवं शासकीय, अर्ध्दशासकीय या अन्य प्रतिष्ठित संस्था मे सी.सी.टी.वी./नेटवर्किंग कार्यों का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो।

(24) **वाहन चालक :–**

**योग्यता/अनुभव :–** कक्षा 8 वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा विधि मान्य वाहन चालक अनुज्ञप्ति (लाईट व्हीकल लाईसेंस) धारण करता हो।

(25) **डाक रनर :–**

**योग्यता/अनुभव :–** कक्षा 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में डाक वितरण कार्य का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव।

(26) **भृत्य :–**

**योग्यता/अनुभव :–** पूर्व माध्यमिक (आठवीं) परीक्षा उत्तीर्ण।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

# छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय के कार्यालयीन कार्यों का सुचारू संपादन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने बाबत आमंत्रित द्वितीय ई–निविदा दर प्रपत्र
# (Financial Bid)

सेवा में,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ संवाद,
नवारायपुर (छ.ग.)

1. हमें निविदा की सभी शर्ते स्वीकार है। हमें शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में मानव संसाधन उपलब्ध कराने का 3 वर्ष से अधिक का अनुभव हैं, जिसके संबंध में कार्यादेश/अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न कर रहें हैं। हम इस निविदा के अंतर्गत निर्धारित योग्यता एवं अनुभव के निम्नलिखित मानव संसाधन छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित एकमुश्त मासिक देय राशि में बिना किसी कटौती किए (वैधानिक कटौती को छोड़कर) भुगतान करने का वचन देते हैं –

| क्र. | मानव संसाधन पदनाम |
|---|---|
| 01 | पीआर कन्सल्टेंट |
| 02 | वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार |
| 03 | संपादकीय सलाहकार |
| 04 | उप संपादक |
| 05 | ग्राफिक्स डिजाईनर |
| 06 | कॉपीराइटर/ कन्टेंट राइटर |
| 07 | तकनीकी सहायक |
| 08 | मीडिया एक्ज्युकेटिव |
| 09 | मैनेजर (ऑडिटोरियम) |
| 10 | अनुवादक |
| 11 | रीडर सह जनसूचना सहायक |
| 12 | निज सहायक/स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी) |
| 13 | मार्केटिंग एक्जीक्युटिव |
| 14 | डीटीपी ऑपरेटर/सहायक ग्राफिक डिजाईनर |
| 15 | लेखा सहायक |
| 16 | फोटोग्राफर |
| 17 | वीडियो एडिटर |
| 18 | डाटा एन्ट्री आपरेटर |
| 19 | एच.आर. मैनेजर |
| 20 | इस्टेट मैनेजर |
| 21 | इस्टेट सुपरवाईजर |
| 22 | वीडियो/डिजिटल लाइब्रेरियन |
| 23 | टेक्निशियन (नेटवर्किंग) |
| 24 | वाहन चालक |
| 25 | डाक रनर |
| 26 | भृत्य |

2. उपरोक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिये एक मुश्त देय कुल राशि पर हमारा सुपरविजन एण्ड मैनेजमेन्ट चार्जेस ............% मासिक होगा। जिसका भुगतान छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा हमें उपरोक्त के अतिरिक्त किया जावेगा।

(हस्ताक्षर)
नाम :–
पदनाम :–
मोबाईल नं. –
दूरभाष नं. –
(संस्था की सील)

# मानव संसाधन उपलब्ध कराने बाबत सेवा अनुबंध

छत्तीसगढ़ संवाद, छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ (पक्ष क्रमांक 01) एवं मेसर्स ................ ................ (पक्ष क्रमांक 02) द्वारा छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय की आवश्यकता अनुसार मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु दिनांक – / / से दिनांक – / / तक के लिए दोनों पक्षों की सहमति से निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुबंध किया जाता है :–

1. यह कि छत्तीसगढ़ संवाद (पक्ष क्र. 01) के दैनिक कार्यों के संपादन हेतु आवश्यकता अनुसार मेसर्स ................................... (पक्ष क्रमांक 02) द्वारा निविदा क्रमांक .......... दिनांक ....................... के अनुसूची–01 में निर्धारित न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव प्राप्त मानव संसाधन छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित मासिक दर पर पक्ष क्रमांक 01 को उपलब्ध कराया जाएगा।
2. यह कि समय–समय पर आवश्यकता अनुसार पक्ष क्रमांक 02 को पक्ष क्रमांक 01 की सूचना पर अनुसूची–01 में वर्णित शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव रखने वाले मानव संसाधन सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर पक्ष क्रमांक 01 को उपलब्ध कराना होगा। मानव संसाधन की संख्या में कमी या बढ़ोत्तरी करने का अधिकार पक्ष क्रमांक 01 के पास सुरक्षित होगा।
3. यह कि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा पक्ष क्रमांक 01 का यह कि पक्ष क्रमांक 02 को कर्मचारी भविष्य निधि, ईएसआईसी, श्रम नियम, जीएसटी अधिनियम एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा एवं प्रतिमाह देय राशि नियत समय में जमा कर साक्ष्य/ईसीआर चालान की प्रतियां पक्ष क्रमांक 01 को उपलब्ध कराना होगा। भुगतान की पावती उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी माह के देयक का भुगतान पक्ष क्रमांक 01 द्वारा किया जाएगा।
4. यह कि पक्ष क्रमांक 01 को उपलब्ध कराए गए सभी मानव संसाधन पक्ष क्रमांक 02 द्वारा नियोजित होंगे तथा उपलब्ध कराए गए मानव संसाधन एवं छत्तीसगढ़ संवाद के मध्य सेवक–नियोजक का संबंध नहीं रहेगा।
5. यह कि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा पक्ष क्रमांक 01 को उपलब्ध कराए गए कोई मानव संसाधन/कर्मी कार्य के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता या अनुशासनहीन होना पाया जाता है तो सूचना प्राप्त होने पर पक्ष क्रमांक 02 द्वारा उस कर्मी को तत्काल वापस लेना होगा तथा पक्ष क्रमांक 01 की आवश्यकता हो तो उसके बदले अन्य मानव संसाधन/कर्मी उपलब्ध कराना होगा।
6. यह कि मानव संसाधन/कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, मेडिकल फिटनेश, पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र सत्यापन का उत्तरदायित्व पक्ष क्रमांक 02 का होगा।
7. यह कि सेवा अनुबंध की अवधि दिनांक .................. से दिनांक .................. तक एक वर्ष की होगी। पक्ष क्रमांक 02 का कार्य संतोषप्रद होने पर दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति से सेवा अनुबंध अवधि बढ़ाया जा सकेगा। सेवा अवधि में वृद्धि का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
8. यह कि पक्ष क्रमांक 02 का कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर सात दिनों की सूचना देकर समाधान कारक उत्तर नहीं मिलने पर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार पक्ष क्रमांक 01 को होगा एवं पक्ष क्रमांक 02 द्वारा जमा अमानत राशि राजशात किया जायेगा।
9. यह कि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा विभिन्न श्रेणी के मानव संसाधन हेतु निर्धारित एकमुश्त राशि में से नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा की कटौती पश्चात शेष राशि का भुगतान संबंधित कर्मी के बैंक खातों में की जाएगी। उक्त संवैधानिक कटौती के अलावा

कर्मचारियों से किसी प्रकार की सेवा शुल्क या अन्य मद में न ही कटौती की जाएगी और न ही वसूल की जा सकेगी।

10. यह कि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन चालक एवं भृत्यों को वर्दी प्रदान करना होगा। जिसक व्यय पक्ष क्रमांक 02 को ही वहन करना होगा।
11. यह कि पक्ष क्रमांक 02 को कर्मचारी भविष्य निधि, ईएसआईसी, श्रम नियम, जीएसटी अधिनियम एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन करना होगा एवं प्रतिमाह देय राशि नियत समय में जमा कर साक्ष्य/ईसीआर चालान की प्रतियां पक्ष क्रमांक 01 को उपलब्ध कराना होगा। भुगतान की पावती उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी माह के देयक का भुगतान पक्ष क्रमांक 01 द्वारा किया जाएगा।
12. यह कि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा उपलब्ध कराए गए मानव संसाधनों को प्रतिवर्ष 18 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी। अवकाश प्रतिमाह के अनुपातिक रूप से स्वीकृत की जाएगी। महिला कर्मियों के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित संवैधानिक दायित्वों का पालन करना होगा।
13. यह कि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव संसाधनों को प्रतिमाह 3 तारिख तक मानदेय का नियमित भुगतान करना होगा।
14. यह कि पक्ष क्रमांक 02 द्वारा प्रत्येक माह विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत देय शुल्क राशि यथा जीएसटी, ईपीएफ, ईएसआईसी इत्यादि देय राशि प्रतिमाह नियमित रूप से नियत समय में जमा करना होगा एवं पावतीयां छत्तीसगढ़ संवाद में उपलब्ध कराना होगा अन्यथा संबंधित माह के देयक में 02 प्रतिशत पेनाल्टी कटौती की जायेगी एवं पक्ष क्रमांक 01 द्वारा पेनाल्टी कटौती की राशि आगामी देयक अथवा जमा अमानत राशि में से समायोजित की जायेगी। इसकी पुनरावृत्ति होने की स्थिति में अनुबंध समाप्त कर पक्ष क्र. 2 द्वारा जमा अमानत राशि जप्त किया जायेगा एवं एक वर्ष के लिए कालीसूची में डाला जायेगा।
15. यह कि व्यवहार में किसी प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर, छत्तीसगढ़ ही होगा।
16. यह कि किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर– प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जाएगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।